न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

लादूराम बनाम सुरेश वगै.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज मु.नं.- 17/2018 दावा
20-9-21	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीक [illegible] उप [illegible] अधिकारी दौरे [illegible] /मीटिंग में हैं। [illegible] ही हेतु दिनांक 29-9-21 [illegible] हो। रीडर सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)
29-9-21	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीक [illegible] उप./[illegible] अधिकारी दौरे/अन्य [illegible] में [illegible]/मीटिंग में हैं। पत्रावली [illegible] कार्यवाही हेतु दिनांक 12-3-22 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
12-3-2022	राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रकरण प्राप्त हुआ, पक्षकार अनुपस्थित उप/अनु./प्रकरण नियमित न्यायालय में आगामी दिनांक 30-03-2022 को प्रस्तुत हो। अध्यक्ष लोक अदालत बैंच तालुका विधिक सेवा समिति श्रीमाधोपुर (सीकर)
30.03.2022	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण ने प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाने बाबत निवेदन किया। वकील वादीगण के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकील वादीगण एक पक्षीय सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत ईस्तकरार हक, दुरूस्ती रिकार्ड एंव स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णयानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 30/03/22 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.01 17:42:15 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
17/2018	2018/64	21.03.2018	30.03.2022

उनवान प्रकरण

1. लादूराम पुत्र जीवणराम उम्र 72 वर्ष
2. भगवानसहाय उर्फ भगवानाराम पुत्र जीवणराम उम्र 70 वर्ष (मृत्तक के स्थान पर)
   - 2/1 भगवती देवी पत्नि भगवान सहाय उर्फ भगवानाराम
   - 2/2 रामस्वरूप पुत्र भगवान सहाय उर्फ भगवानाराम
   - 2/3 दयालसिंह पुत्र भगवान सहाय उर्फ भगवानाराम
   - 2/4 बिमला देवी पुत्री भगवान सहाय उर्फ भगवानाराम
   - 2/5 सन्तरा देवी पुत्री भगवान सहाय उर्फ भगवानाराम
   - 2/6 राजू देवी पुत्री भगवान सहाय उर्फ भगवानाराम
   - 2/7 हंसा देवी पुत्री भगवान सहाय उर्फ भगवानाराम
   - 2/8 अनिता देवी पुत्री भगवान सहाय उर्फ भगवानाराम
3. मंगलाराम पुत्र जीवणराम उम्र 65 वर्ष
4. सुरजाराम पुत्र जीवणराम उम्र 60 वर्ष

समस्त जाति अहीर निवासी ढ़ाणी डेरावाली तन् खुर्रमपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर रा०।

वादीगण

बनाम

1. सुरेश पुत्र रामेश्वर
2. रंजीत पुत्र रामेश्वर
3. मुकेश पुत्र रामेश्वर
4. कानाराम पुत्र रामेश्वर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.01 17:22:15 IST
Reason: SelfAttested

30/03/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

5. बाबूलाल पुत्र फूलचन्द

6. कृष्ण पुत्र फूलचन्द

समस्त जाति अहीर निवासी खुर्रमपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

7. लैण्ड हौल्डर जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

8. पटवारी पटवार हल्का फुटाला तहसील श्रीमाधोपुर

प्रतिवादीगण

उपस्थित–

श्री रामजीलाल मिश्रा, वादीगण अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर –प्रतिवादी नं. 7

वादपत्र बाबत इस्तकरार हक व दुरूस्ती रिकार्ड एंव स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि वादीगण की खातेदारी आराजीयात काश्तकारी भूमि अवस्थित तन् ग्राम खुर्रमपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 4996, 5004, 5014, 5019, 5023, 5024, 5034 कुल किता 07 कुल रकबा 1.3500 हैक्टर के वादीगण काबिज काश्तकार है। भूमि खसरा नम्बर 4492, 4870, 4871, 4490, 5193/4487 कुल किता 5 कुल रकबा 2.74 हैक्टर जिसके 1/2 हिस्से के काबिज काश्तकार है। वादीगण के उक्त भूमि खसरा नम्बरान् में से 4996, 5004, 5014, 5019, 5023, 5024, 5034, 4492, 4870, 5193/4487 जरिये डिकी दावा मुकदमा नम्बर 1638/1999 उनवानी प्रकरण लादूराम बनाम लच्छू वगै0 न्यायालय सहायक कलक्टर द्वितीय श्रीमाधोपुर से वादीगण को खातेदारी अधिकार मिले थे एंव खसरा नम्बर 4490 एंव 4871 जरिये रजिस्टर्ड विकय लेख प्रतिवादीगण के स्व0 पिता रामेश्वरलाल एंव फूलचन्द पुत्रगण जगन्नाथ से क्रय किये थे। उक्त खसरा नम्बर की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज हो गई। जगन्नाथ के तीन पुत्र व पॉच पुत्रियॉ थी। जिनमें तीनों पुत्र फौत हो चूके है एंव पांचों पुत्रियॉ ने [illegible] पुत्रों रामेश्वर व फूलचन्द के वारिसान प्रतिवादी नं. 1 से 6 के पक्ष में हकत्याग कर दिया एंव फूलचन्द की तीनो पुत्रियों एंव माताजी ने अपने भाईयों एंव पुत्रों के हक में हकत्याग लेख कर दिया था। उक्त जमीनों की

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.01 17:42:15 IST
Reason: SelfAttested

20/03/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

खातेदारी में जगन्नाथ के तीसरे पुत्र बंशीलाल ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के मुकदमा नं. 501/2002 पेश किया जो दिनांक 26.06.2012 को डिकी होने पर सम्पूर्ण भूमि मृत्तक जगन्नाथ के समस्त वारिसान के नाम दर्ज हो गई।जबकि स्व0 जगन्नाथ की सम्पूर्ण भूमि जरिये डिकी मुकदमा नम्बर 1638/1999 सहायक कलक्टर द्वितीय श्रीमाधोपुर उनवानी प्रकरण लादूराम वगै0 बनाम लच्छूराम वगै0 के द्वारा वादीगण के नाम करवा दी। जो उनवानी प्रकरण बंशीधर बनाम रामेश्वर अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी मु.नं. 501/2002 के आदेश दिनांक 15.07.2014 के द्वारा मृत्तक जगन्नाथ के समस्त वारिसान् के नाम दर्ज हो गई। जिसमें मृत्तक जगन्नाथ के तीनों पुत्रों व पांच पुत्रियों के नाम खातेदारी दर्ज हुई। जिसमें रामेश्वर फौत होने पर जरिये विरासत खातेदारी उसके 4 पुत्रों व पत्नि के नाम दर्ज हो गईं। जिनमें झीमा ने अपने पुत्रों के हक में हकत्याग कर दिया। मृत्तक फुलचन्द की लड़कियों व पत्नि ने फूलचन्द के पुत्रों प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 के पक्ष में हकत्याग कर दिया। जिस पर खातेदारी स्व0 जगन्नाथ के पुत्र बंशीलाल के वारिसान के नाम 1/8 हिस्सा एंव स्व0 रामेश्वर व फूलचन्द के पुत्रों के नाम 7/8 हिस्सा खातेदारी में दर्ज हो गया। उक्त भूमि खसरा नम्बरान् में पूर्व में वादीगण को अदला बदली में जगन्नाथ के दोनों पुत्रों रामेश्वर व फूलचन्द ने अपने जीवनकाल में ही दे दी थी। जिस पर वादीगण बदस्तूर काबिज चला आ रहा है। उक्त खसरा नम्बरान में हिस्सा 7/8 वादीगण एंव हिस्सा 1/8 बंशीलाल के वारिसान के नाम मुकदमा नं. 501/2002 के आदेश द्वारा खातेदारी दर्ज हो गई जो विरासत/डिकी बंशीलाल के वारिसान् के दर्ज हुई। उक्त भूमि के बदले मृत्तक रामेश्वर व फूलचन्द को अदला बदली में वादीगण व लादू वगै0 ने अदला बदली में आई भूमि खसरा नम्बर 4496/5140, 5196/4486, 4503 जिस पर रामेश्वर व फूलचन्द के वारिसान बाबूलाल वगै0 प्रतिवादीगण सभी काबिज काश्त है। उस बाबत वादीगण को कोई एतराज नहीं है में भूमि दे दी थी। वादीगण उक्त भूमि पर वर्ष 1999 से काबिज काश्त एंव आबाद है। उक्त भूमि खसरा नम्बरान मे हिस्सा 7/8 मृत्तक रामेश्वर व फूलचन्द के वारिसान् प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के नाम होने से वादीगण को सख्त हक तलफी है। क्योंकि वादीगण ने उक्त सम्पूर्ण भूमि जरिये डिकी अदला-बदली से ले ली थी। इसलिए उक्त भूमियों की खातेदारी वादीगण अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादीगण को वादीगण के नाम के कब्जा काश्त में मजाहमत करने का कोई अधिकार किसी किस्म का नहीं होने से प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है। वादीगण को बहिस्सा बराबर-बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज किये जाने बाबत उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.01 17:42:25 IST
Reason: SelfAttested

30/03/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

दावा बाबत उद्घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण नं. 1, 2, 4 ता 6 की ओर से लोक अदालत की भावना से न्याय आपके द्वार अभियान के कैम्प– मूण्डरू में दिनांक 14.05.2018 को तथा प्रतिवादी नं. 3 के द्वारा वादीगण के पक्ष में कैम्प– फुटाला में दिनांक 18.06.2018 को उपस्थित होकर वादीगण के पक्ष में राजीनामा पेश कर तस्दीक कराया है। प्रतिवादी सं. 7 व 8 के हाजिर अदालत उपस्थित नही आने पर इनके विरूद्ध दिनांक 16.03.2021 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्य वादीगण में वादी लादूराम व वादी गवाह में छाजूराम अहीर व सीताराम अहीर के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के द्वारा वादीगण के पक्ष में राजीनामा पेश कर दिये जाने तथा प्रतिवादी सं. 7 व 8 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने का निवेदन वादीगण अभिभाषक के द्वारा किया गया है।

हमनें वादीगण अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीगण अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 के अनुसार वादग्रस्त भूमियॉ जरिये डिक्री आदेश से जगन्नाथ पिता गणेश कौम अहीर के नाम से दर्ज रिकार्ड हुई थी तथा जगन्नाथ पुत्र गणेश की मृत्यु होने पर उक्त भूमियों की खातेदारी प्रतिवादीगण नं. 1 ता 6 के नाम दर्ज रिकार्ड आई हैं। इसके उपरान्त सम्वत् 2074 से 2077 में भी इसी प्रकार दर्ज चली आ रही है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 आपस में एक ही परिवार से होना प्रकट होता है। उक्त वादग्रस्त भूमियॉ पक्षकारान् की पैत्रृक भूमियॉ होना सिद्ध होता है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगण ने वादीगण के पक्ष में उपस्थित होकर न्यायालय के समक्ष राजीनामा पेश कर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार करते हुए वादीगण के नाम खातेदारी भूमियों की घोषणा करवाने के अधिकारी है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण के पक्ष में किये गये राजीनामों के आधार पर वादीगण को बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार भूमियों की घोषणा किया जाने हेतु वादपत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.01 17:42:15 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत् ईस्तकरार हक व दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम खुर्रमपुरा पटवार हल्का फुटाला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 4996, 4490, 4871, 5004, 5014, 5019, 5023, 5024, 5034, 4492, 4870, 5193/4487 कुल किता 12 कुल रकबा 4.0900 हैक्टर में से खसरा नम्बर 4996, 5004, 5014, 5019, 5023, 5024, 5034 कुल किता 7 कुल रकबा 1.3500 हैक्टर सम्पूर्ण हिस्सा 7/8 हिस्से का एंव खसरा नम्बर 4492, 4870, 5193/4487 कुल किता 3 कुल रकबा 1.9800 हैक्टर में 1/2 में से 7/8 हिस्सा का एंव खसरा नम्बर 4490, 4871 कुल किता 2 कुल रकबा 0.7800 हैक्टर के हिस्सा 1/2 में से हिस्सा 7/8 का वादीगण को बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त हिस्से से प्रतिवादीगण का नाम हजफ किया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी (सीकर)

30/03/22

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 30.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.01 17:22:15 IST
Reason: SelfAttested

30/03/22

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)